कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 314 / 12-1 दिनांक, रामनगर, 21-7-2022

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास, निगम
रामनगर (नैनीताल)

विषयः **जनपद उधम सिंह नगर मे तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के रामनगर रेंज के ज्वालावन ब्लाक में आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दाबका भाग–2 से उपखनिज चुगान निकासी हेतु 150.00 है0 वन भूमि हस्तांतरण/लीज के सम्बन्ध में।**

संदर्भः **वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त का पत्रांक 84/12–1 दिनांक 14 जुलाई 2022 इस कार्यालय का पत्रांक 107/12–1 दिनांक 05–07–2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा अपने पत्रांक 724/12–1 दिनांक 22–06–2022 से भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रत्यूत्तर उपलब्ध कराया गया था जिसे इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त द्वारा उक्त संदर्भित पत्रांक से प्रस्ताव पर आपत्ति लगाई गयी है कि ***"उल्लेखित भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के अनुरूप प्रतिउत्तर टंकित नहीं है।"***

उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के निम्न बिन्दुओं पर भी प्रतिउत्तर देना अपेक्षित है–

बिन्दु संख्या–1 उक्त बिन्दु में कार्बेट टाईगर रिजर्व से दूरी के बारे में पूछा गया है, जबकि आपके द्वारा प्रतिउत्तर मे कार्बेट नेशनल पार्क से दूरी का उल्लेख किया है, उक्त आख्या को स्पष्ट करें।

बिन्दु संख्या–4 उक्त बिन्दु में प्रस्तावित क्षेत्र का वन भूमि व अन्य भूमि के बारे में अलग–अलग क्षेत्रफल का विवरण पूछा गया है, जबकि आपके द्वारा मात्र आरक्षित वन क्षेत्र का 150 है0 क्षेत्रफल ही लिखा गया है।

बिन्दु संख्या–9 उक्त बिन्दु में कोसी–दाबका क्षेत्र में खनन से संबंधित पूर्व में प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति तथा पूर्व में आर.बी.एम. चुगान की स्वीकृति कितनी स्वीकृति प्राप्त हुई है, के बारे में पूछा गया है, परन्तु आपके प्रत्युत्तर में मात्र पूर्व में जारी पर्यावरण अनापत्ति संलग्न की गयी है, अन्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों के संबंध में प्रत्येक बिन्दु का अलग–अलग प्रतिउत्तर विस्तृत विवरण सहित आपत्तियों के अनुरूप संशोधित उत्तरालेख देवनागरी लिपि में इस कार्यालय को चार प्रतियों में उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव को ऑन लाईन फारवर्ड करें ताकि प्रकरण को उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। लिखित प्रत्यूत्तर प्राप्त होने तक प्रकरण ऑन लाईन आपको वापस भेजा जा रहा है।

भवदीय

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक / /दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर